परिशिष्ट–अ

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 29 वी बैठक दिनांक 17.04.2006 में उपस्थित रहे अधिकारियों की सूची:

क्र0 सं0	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी में पद
1	श्री सुरेन्द्र कुमार पारीक, माननीय सदस्य, राजस्थान विधान सभा	सदस्य
2	श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, माननीय सदस्य, राजस्थान विधान सभा	सदस्य
3	श्रीमती कौमुदी गुप्ता, निदेशक(वित्त)	सदस्य
4	श्री लोकनाथ सोनी, अतिरिक्त आयुक्त(पश्चिम)	सदस्य
5	श्री जगरूप सिंह यादव, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)एवं सदस्य सचिव, एल.पी.सी.	सदस्य सचिव
6	श्री अरूण गर्ग, उपायुक्त जोन-1	विशेष आमंत्रित
5	सुश्री चन्द्र कान्ता अग्रवाल, उपायुक्त जोन-3	विशेष आमंत्रित
6	श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा, उपायुक्त जोन-9	विशेष आमंत्रित
7	श्री जगजीत सिंह, उपायुक्त जोन-10	विशेष आमंत्रित
8	श्री राजेश सिंह, उपायुक्त जोन-11	विशेष आमंत्रित
9	श्री सुखबीर सैनी, उपायुक्त जोन-12	विशेष आमंत्रित

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

/ 127

क्रमांक: प-(   )जविप्रा/अआ/भूमि/2006/डी- 35

दिनांक: 2/5/06

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 30 वी बैठक दिनांक 01.05.2006 को प्रात: 12.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता मे आयोजित की गयी, जिसमे भाग लेने वाले अधिकारियो की सूची परिशष्ठ 'अ' पर संलग्न है । बैठक मे विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :-

क्र0 सं0	जोन संख्य ।	प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का विवरण	निर्णय	जिसके द्वारा क्रियान्विति की जानी है
1		30:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की आयोजित 30 वी बैठक दिनांक 01.5.06 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन बाबत	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की आयोजित 30 वी बैठक दिनांक 01.5.06 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। "प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति 29 वी बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट भिजवाने के बाबत जयपुर विकास आयुक्त महोदय के द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।"	आर्ह-म्प्ज
2	1	30:2	श्री सत्य नारायण आर्चाय पुत्र श्री मालीराम को भू. स. ई-10 झालाना फेज III नाम हस्तान्तरण एवं पट्टा जारी करने बाबत।	भूखण्ड संख्या ई-10 झालाना फेज-III में पुर्नवास योजना के तहत झालाना फेज-III योजना में पर्ची कमांक 476 भू.स.ई 10 हेतु जारी गई थी के आधार पर आवंटन पत्र दिनांक 9.8.84 को जारी किया गया। आवंटन पत्र अनुसार नजराना राशि रूपये 307.65 दिनांक 9.8..84 जमा करा दी गई। कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा दिनांक 9.1.85 को कब्जा संभला दिया गया। वर्तमान में मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल 5.54 वर्ग मीटर (6.62 वर्ग गज)बढ गया है जिसे प्रार्थी आवंटन करवाना चाहता है। प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया बढे हुए क्षेत्रफल को वर्तमान की आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी राशि लेकर आवंटन किया जावे।	1 उ.प्र.

3	8	30:3	ग्राम धोलाई पत्रकार कॉलोनी में राजस्थान विधुत वितरण निगत लि. को 33/11 के.वी. विधुत सब स्टेशन के लिए 30 मीटर चौडी सडक पर भूमि आवंटन बाबत।	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 13 बैठक दिनांक 27.11.04 के निर्णयानुसार ग्राम धौलाई पत्रकार कोलोनी में राजस्थान विधुत वितरण निगर लि. को 33/11 के.वी सब स्टेशन हेतु 1500 वर्ग मीटर भूमि 12 मीटर चौडी रोड पर योजना की पूर्व आवासीय आरक्षित दर 750/- रूपये प्रति वर्ग मी. से आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अधिशाषी अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम लि. के पत्र कमाक 2091 दिनांक 2.3.06 द्वारा विधुत सबस्टेशन हेतु आंवटित किये गये भूखण्ड को अपर्याप्त व असुविधाजन बताया है। क्योंकि 33/11 के.वी. पर विधुत उपकरण, ट्रांस फार्मस व वी.सी.वी. इत्यादि को के लाने व ले जाने के लिए वडे ट्रक/ट्रोल की आवश्यकत होती है। जिसके लिए 12 मीटर चौडी रोड सुविधाजनक नही है। इसलिए 30 मीटर चौडी रोड पर विधुत सब स्टेशन हेतु भूखण्ड आवंटन किया जावे। जोन उपायुक्त के प्रस्तावानुसार प्रकरण में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया है कि पूर्व एल.पी.सी मे 12 मीटर चौडी रोड पर 1500 व.मी. भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे एवं 1540 व.मी. भूमि 30 मीटर रोड पर वर्तमान में आवासीय आरक्षित दर 2250/- रूपये पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।	8	डस्ट
4	9	30:4	शेखावाटी अंचल संस्थान को बालिका विद्यालय हेतु भूमि आवंटन बावत।	शेखावाटी अंचल संस्थान को बालिका विद्यालय हेतु ग्राम दुतली-सिरोली योजना के भूखण्ड संख्या आई-1 में से (40X 56) 2000 वर्ग मीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर 4125/-रूपये प्र.व.मी. की 25 प्रतिशत की दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।	9	घाट

128

	11	30:5	अमरबाल विधालय शिक्षा समिति को ग्राम मदाउ तहसील सांगानेर मे भूमि आवंटन करने के कम में।	प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।	11	
6	12	30:6	सांसी वस्ती रेलवे स्टेशन के पास ग्राम चौमू के लिए शमशान हेतु भूमि आंवटन वावत।	कस्वा चौमू जिला जयपुर के वार्ड न. 5 के सांसी समाज की वस्ती के लोगो के शमशान हेतु ग्राम चौमू ख.न. 4152 में से 0.28 हैक्टेयर भूमि Set apart/आरक्षित किये जाने का निर्णय एलपीसी की 17 वी बैठक दिनांक 22.8.05 को लिया गया था। इस संबंध मे कुछ लोगों द्वारा विरोध दर्ज कराने के कारण नगर पालिका चौमू से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें उक्त स्थान के वदले ग्राम चौमू के ख.न. 4623 रकबा 2.03 हैक. भूमि किस्म गै.मु.शमशान में से 0.04 हैक्टेयर भूमि आवंटित करने की अनुशंषा की है। विचार-विमर्श बाद जोन के प्रस्तावानुसार ख.न. 4152 मे से 0.28 हैक्टेयर के स्थान पर ग्राम चौमू के खसरा न. 4623 रकबा 2.03 हैक्टेयर भूमि किस्म गै.मु. श्मशान मे से 0.04 हैक्टयेर भूमि नि:शुल्क आरक्षित करने का निर्णय लिया।	12	क्र.प.
7	12	30:7	135 (महिला) वटालियन केरिपुवल का मुख्यालय जयपुर मे स्थापित करने के लिए जमीन आंवटन वावत। न्यायिक	केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल अजमेर द्वारा पत्र दिनांक 11.1.05 के द्वारा 135 (महिला) वटालियन केरिपुवल का मुख्यालय जयपुर में स्थापित करने के लिए प्राधिकरण की एलपीसी की 14 वी वैठक दिनांक 17.2.05 के ग्राम ढण्ड मे तहसील आमेर के ख.न. 3मिन रकवा 14.15 हैक्टेयर भूमि का आवंटन डी.	12	क्र.प.

				एल.सी दर के 125 प्रतिशत पर आवंटन किया गया था। केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल के अ.शा. प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ढण्ड में आवंटित भूमि प्रशासनिक कारणों से स्वीकार नही है। अत: उक्त पत्र अनुसार जोन के प्रस्तावानुसार उनको आवंटित भूमि निरस्त कर अन्य उपयोग में लिये जाने का निर्णय लिया गया।		
8	12	30:8	खसरा नं. 116 ग्राम नॉगल पुरोहितान तहसील आमेर में पूर्व में आवंटित भूमि के चारों और 5 मी. चौड़ी पट्टी अर्थात् 340 व.मी. भूमि और उपलब्ध कराने बाबत।	गैल इण्डिया लि. द्वारा दिनांक 22.2.05 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि बफर जोन के खसरा न. 116 ग्राम नॉगल पुरोहितान में पूर्व मे आवंटित की गई भूमि के चारों ओर 5 मीटर चौडी पट्टी जिसका क्षेत्रफल 340 वर्ग मीटर है का आवंटन संस्था को किया जावें। बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि गैल इण्डिया लिमिटेड को उक्त भूमि का आवंटन वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर पर किया जावें।	12	डा.प
9	12	अति. एजेण्डा 30:9(1)	सेन्टर फोर ऐवियशन एण्ड डिजास्टर मैनेजमेन्ट को शैक्षणिक सामाजिक एवं प्रशासनिक कार्य के लिये भूमि आवंटन बाबत।	श्रीमती शान्ता बावल अध्यक्ष सेन्टर फोर ऐवियशन स्टडीज एण्ड डिजास्टर मैनेजमेन्ट, जयपुर ने दिनांक 28.4.06 को संस्था को 13500 वर्ग मीटर से 18900 वर्ग मीटर आयताकार भूखण्ड आवंटन करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जोन के प्रस्तवानुसार तहसील आमेर के ग्राम ढण्ड में खसरा नं 3 मिन रकवा 14.15 हैक्टेयर भूमि में से 2 एकड़ भूमि का प्रार्थी संस्था को आवंटन किया जावे। चूंकि प्रार्थी संस्था नवपंजीकृत है तथा डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे जन उपयोगी उद्देश्य की पुर्ति हेतु कार्य करेगी अत: संस्था को न्यूनतम 3 वर्ष पूर्व पंजीकृत होने की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान कर आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें। संस्था को आवंटन संस्थानिक आरक्षित दर पर करने का निर्णय लिया गया। आवंटन के पूर्व उक्त भूमि का भू उपयोग परिवर्तन कराना होगा।	12	उ.प

10	12	अति. एजेण्डा 30:9(2)	राजथान प्रशासनिक सेवा व नगर नियोजक विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं मे भूखण्ड उपलब्ध कराने बाबत।	राजथान प्रशासनिक सेवा व नगर नियोजक विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों को जयपुर विकास प्राधिकरण की ग्राम कानोता के पास स्थित आवासीय योजनाएं राजभवन कर्मचारियों की आवासीय योजना, कल्पना नगर आवासीय योजना, पीताम्बरा आवासीय योजना में शेष बचे हुए भूखण्डों (कार्नर भूखण्डों को छोड़कर) इन सेवा के अधिकारियों को आवंटन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई एवं प्रकरण मे नियमानुसार वांछित शिथिलता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया ।	12	उ/पृ
11	8 व 9	अति. एजेण्डा 30:9(3)	राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारियों को ग्राम गणपतपुरा, तहसील सांगानेर तथा राजस्थान न्यायिक सेवा एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जोन 9 के क्षेत्र में भूखण्ड आवंटन बाबत।	माननीय् सेठी आयोग की अनुशंसा के क्रम में राजस्थान न्यायिक संघ ने न्यायिक सेवा के अधिकारियों हेतु आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिये भूमि की मांग की है एवं राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधीक्षक ने राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये आवासीय योजना हेतु भूमि की मांग की है। समिति द्वारा बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया की राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारियों माननीय् न्यायाधिपतिगणों के लिए आवासीय योजना हेतु तहसील सांगानेर जोन 8 ग्राम गणपतपुरा के ख.न. 112, 113, 137, 138, 139, 140, 215 कुल किता 7 रकबा 11.53 हैक्टयेर मे मे 1000 वर्ग गज के 40 भूखण्ड क्षेत्र का आवंटन राज्य सरकार के साईज-दर निर्धारण एवं अनुमोदनाधीन किया जावें। तथा राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को तहसील सांगानेर जोन 9 में ग्राम मुरलीपुरा के ख.न. 68/0.10, 69/0.25, 70/0.45, 363/4.32 किता 4 रकबा 5.12 हैक्टयेर, ग्राम सिरोली के ख.न. 1418/0.01,1419/0.08, 1420/0.01, 1421/0.05, 1422/0.01, 1423/0.	8 व 9	उ/पृ

				01, 1424/5.16 किता 7 रकबा 5.33 हैक्टैयर एवं ग्राम खुसर के ख.न. 1/0.85, 118मि/8.83, 3/0.03, 4/0.06, 5/0.05, 6/0.04, 7/0.04, 8/0.04, 9/0.06, 119/0.17 किता 11 रकबा 25.28 हैक्टैयर कुल भूमि 36.73 हैक्टेयर तथा भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो के अधिकारी/कर्मचारियों को तहसील सांगानेर के ग्राम मुरलीपुरा के ख.न. 42/0.09, 43/8.00, 44/0.26, 57/2.57, 61/0.0749/0.04, 50/0.04, 53/0.02, 54/0.02 किता 9 रकब 11.11 हैक्टेयर भूमि अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 की धारा 17 में वांछित शिथिलता प्रदान करने हेतु एवं दर निर्धारण के लिये निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भेजा जाने का निर्णय लिया गया।	
12	3	अति. एजेण्डा 305(4)	जयपुर महानगर टाइम्स को सहकार मार्ग पर आवंटित 545 वर्ग मीटर भूमि की आवंटन दर निर्धारित करने बाबत्।	प्रकरण पर समिति ने विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि महानगर टाइम्स को 4000 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: एफ-2(195) यू.डी.एच./77/दिनांक: 7.398 के अनुसार निर्धारित आवासीय आरक्षित दर पर आंवटन करने का निर्णय लिया गया था। संस्था को शेष रही 545 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन दिनांक: 15.9.05 को भूमि एवं सम्पत्ति समिति की बैठक में तत्समय मे प्रभावी आवासीय आरक्षित दर पर किया गया। चूंकि इस शेष भूमि के आवंटन में विलम्ब भूमि की अनुउपलब्धता के कारण हुआ है अत: प्रार्थी को शेष भूमि क्षैत्रफल की दिनांक: 7.3.98 को प्रभावी आरक्षित दर पर करने की अनुशंसा की जाती है। प्रकरण समस्त तथ्यों सहित राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें।	

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सदस्य सचिव
एव
अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)

प्रतिलिपिः–

1- निजी सहायक, जयपुर विकास आयुक्त महोदय, जविप्रा, जयपुर ।

2- निजी सचिव, सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

3- निदेशक(वित्त/अभि0/आयोजना), जविप्रा, जयपुर ।

4- अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/प्रशासन/भूमि), जविप्रा, जयपुर।

5- उपायुक्त जोन-1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

6- अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर ।

7- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर ।

8-रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)